भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 577

03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय - किसानों की मांगें

577. श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार किसान विंग द्वारा 2020-21 के किसान आंदोलन से भी बड़े राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध की चेतावनी को देखते हुए, पारदर्शी संवाद के बजाय टकरावपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य लोगों, जिन्हें बिना मुकदमे के पांच साल से अधिक समय से कैद में रखा गया है, की तत्काल रिहाई की मांग करने वाले प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कार्यकर्ताओं, किसानों और असहमति जताने वालों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम के दुरुपयोग के व्यापक आरोपों के बावजूद, उक्त अधिनियम को निरस्त करने या उसकी समीक्षा करने की बार-बार की गई मांगों को नजरअंदाज किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) व्यापार समझौतों सहित राष्ट्रीय नीतिगत निर्णय भारतीय किसानों के बजाय अमेरिकी साम्राज्यवादी हितों और कॉरपोरेट लॉबी के दबाव में लेने संबंधी आरोपों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार द्वारा किसानों का सामाजिक-आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने और उनसे संबंधित मुद्दों का सक्रिय, अविलंब और सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया जाता है। वर्ष 2021 में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद, सरकार ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के साथ दो चरणों में सात दौर की चर्चा की थी। पहली चर्चा 8 फरवरी, 2024 को आयोजित की गई थी। इसके बाद, 12, 15, 18 फरवरी 2024, 14, 22 फरवरी, 2025 और 19 मार्च, 2025 को चर्चा की गई। निरंतर बातचीत के माध्यम से, किसान संगठनों द्वारा उठाए गए अधिकतर मुद्दों का समाधान कर लिया गया है।

(ख) और (ग): संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। अतः विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के अंतर्गत अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने, दर्ज करने और अन्वेषण करने तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाने का प्राथमिक उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है।

(घ): सरकार किसानों के सामाजिक-आर्थिक विकास और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरकों पर निरंतर उच्च सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर रिकॉर्ड खरीद, डीबीटी के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता इत्यादि सहित सभी राष्ट्रीय नीतियां बिना किसी बाहरी प्रभाव के पूर्णरूपेण किसानों और कृषि हित में तैयार की जाती हैं। सरकार भारतीय किसानों के हितों की सावधानीपूर्वक रक्षा करने के बाद ही ट्रेड निगोशिएशन करती है और व्यापार समझौतों में किसानों के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
